

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2018/436

दिनांक : 07-05-2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय,  
जयपुर।

विषय : श्री रामफूल गुर्जर, लेब टैक्नीशियन को कार्यग्रहण कराने के संबंध में।

संदर्भ : आपका पत्रांक 157 दिनांक 24.04.2018.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा श्री रामफूल गुर्जर, लेब टैक्नीशियन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डाभीमसिंह को दिनांक 28.08.2017 से लगातार बिना सूचना के कर्तव्य से स्वैच्छिक अनुपस्थित रहने पर कार्यग्रहण हेतु अपनी उपस्थिति निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर में देने हेतु निर्देशित किया है, को पुनः आपके कार्यालय हेतु कार्यमुक्त कर भिजवाया जा रहा है। श्री गुर्जर को उनके मूल पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करावें तथा कार्मिक के स्वैच्छा से अनुपस्थिति एवं राजकीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही के प्रकरण में इनके विरुद्ध प्राथमिक जांच कराते हुये दोषी पाये जाने पर सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु नियमानुसार आरोप पत्रादि भिजवायें।

( राकेश शर्मा )

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2018/

दिनांक :

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, संभाग-जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय, जयपुर।
3. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
4. प्रशासन अधिकारी, अराजपत्रित/गोपनीय (अराजपत्रित) अनुभाग, मुख्यालय।
5. श्री रामफूल गुर्जर, लेब टैक्नीशियन जिन्होंने दिनांक 26.04.2018 को निदेशालय, मुख्यालय पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की है, को आज कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह अविलम्ब अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत करें।
6. प्रभारी स्वीर कम विभागीय टैक्नीशियन पर उपलब्ध है।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर